न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–59/2020
GCMS NO:- 2020/00106 दायर दिनांक: 09.07.2020
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. गोपीराम पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम कलमिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. भोजाराम पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम कलमिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोरपाल पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम कलमिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामप्रसाद पुत्र प्रहलादजाति गुर्जर निवासी ग्राम कलमिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामस्वरूप पुत्र छीतरलाल जाति गुसाईनिवासी ग्राम कलमिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. अशोक पुत्र गोविन्द जाति गुसाईनिवासी ग्राम कलमिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. नितेश पुत्र सत्यनारायण जाति गुसाई निवासी गेण्डोली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
6. कुलदीप पुत्र सत्यनारायण जाति गुसाई निवासी गेण्डोली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
7. शांति पत्नि सत्यनारायण जाति गुसाई निवासी गेण्डोली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
8. कल्याणी पुत्री छीतरलाल जाति गुसाई हाल पत्नि रतनलाल निवासी ठीकरिया तहसील देवली जिला बून्दी।
9. सुमित्रा पुत्री छीतरलाल हाल पत्नि हीरालाल जाति गुसाई निवासी बलवन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
10. पोखर पुत्र नहनू जाति गुर्जर निवासी ग्राम कलमिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कलमिया पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि खाता संख्या 36 के खसरा संख्या 57/10–12, 135/01–01, 139/02–10, 157/01–00, 159/02–08 तथा 162/616/02–17 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 57 पर आने–जाने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र लाने का 14 फीट चौडा रास्ता जरखोदा से करवर जाने वाले पक्के डामर से फटकर खसरा संख्या 162/696 व 162/633 के मध्य की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 163 व 49 के मध्य की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 50 व 49 के मध्य की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 51 पर पहुचता है। यह कि उक्त रास्ता खसरा संख्या 51 से आगे निकल कर खसरा संख्या 52 व 46 के मध्य की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 46,45 व 43 की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 57 पर पहुचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 10 ने प्रार्थीगण को धमकिया दी कि इस रास्ते को हम जेसीबी से खाई लगवाकर पूर्णतय अवरूद्व कर देंगें। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण [illegible] की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने [illegible] पर [illegible] जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ-पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 161, 97 व 53 की भूमि उपयोग में आयेगी। वर्तमान में प्रार्थीगण ग्राम में निवास नहीं कर अपनी खातेदारी भूमि पर बने मकान में ही निवास कर रहे है। मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण, प्रत्यार्थीगण व पडोसी खातेदारान का सहयोग व परामर्श लिया जाकर उक्त रास्ता निकालने हेतु प्रस्तावित किया गया है। यह कि खसरा संख्या 161 रकबा 8 बिस्वा में से रकबा 40 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 80 वर्गगठ्ठा = 3882 वर्गफीट, खसरा संख्या 97 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा में से रकबा 122 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 244 वर्गगठ्ठा = 11242 वर्गफीट तथाखसरा संख्या 53 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा में से रकबा 60 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 120 वर्गगठ्ठा = 5630 वर्गफीट यानि लगभग कुल रकबा 0.1900 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 20454 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.1900 है0 है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट जरखोदा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम कलमिया पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि खाता संख्या 36 के खसरा संख्या 57/10-12, 135/01-01, 139/02-10, 157/01-00, 159/02-08 तथा 182/816/02-17 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 161 रकबा 8 बिस्वा में से रकबा 40 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 80 वर्गगठ्ठा = 3882 वर्गफीट,खसरा संख्या 97 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा में से रकबा 122 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 244 वर्गगठ्ठा = 11242 वर्गफीट तथाखसरा संख्या 53 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा में से रकबा 60 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 120 वर्गगठ्ठा = 5630 वर्गफीट यानि लगभग कुल रकबा 0.1900 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 20454 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.1900 है0 है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट 'क' में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner